

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)

टेलीफैक्स नं. 0141-2222403, 2229314

ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/18140-18352

दिनांक : 10/09/2021

समस्त आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
राजस्थान।

विषय:- 'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021' के तहत अभियान पूर्व तैयारियों के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" चलाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के प्रमुखतः तीन चरण होंगे :-

1. प्रथम चरण में उक्त अभियान के पूर्व तैयारी शिविर दिनांक 15.09.2021 से दिनांक 25.09.2021 तक प्रत्येक नगरीय निकाय में आयोजित किये जायेंगे।
2. द्वितीय चरण (प्रमुख चरण)
 - पार्ट-ए दिनांक 02.10.2021 से 31.12.2021 तक, तदुपरान्त आगामी 15 दिवस मध्यान्तर, जिसमें प्रमुख समस्याओं की समीक्षा कर समाधान सुझाया जावेगा।
 - पार्ट-बी दिनांक 16.01.2022 से 31.03.2022 तक रहेगा।
3. तृतीय चरण में फोलोअप की कार्यवाही की जावेगी। फोलोअप कैम्पस के लिये तृतीय चरण दिनांक 01.04.2022 से प्रारम्भ किया जावेगा।

अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके भूखण्डों का आवंटन कर पट्टे जारी करना तथा उनसे संबंधित अन्य प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान करना है।

'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021' के तहत अभियान पूर्व तैयारियों के संबंध में अधिकाधिक पट्टे जारी किये जाने हेतु निम्नांकित दिशानिर्देश दिये जाते हैं :-

1. अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों की सूची संलग्न है। उक्त सभी कार्य किये जाने हेतु अभियान से पूर्व तैयारी की जावे। इन कार्यों की निरन्तर समीक्षा किये जाने हेतु पृथक से फॉरमेट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रतिदिन शिविर में किये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नगरीय निकायों द्वारा प्रेषित की जायेगी।
2. आमजन की सुविधा व जानकारी हेतु शिविरों में Help Desk लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. DOIT द्वारा कुछ प्रमुख सेवाओं हेतु 'Online Application' सृजित की गयी है, जो पोर्टल पर आपको उपलब्ध करवा दी गई है। उक्त Application पर Flow Chart के अनुसार कार्य करते हुए पट्टा जारी करने की प्रक्रिया काफी सुगम हो जायेगी। पट्टे का आवेदन अपलोड करने की प्रक्रिया अभियान से पूर्व समझ ले एवं पूर्व तैयारी शिविर में

तदनुसार सूचना भरकर अभियान अवधि में पट्टे जारी करें तथा मॉनिटरिंग कर राज्य सरकार को नियमित रूप से अवगत करावें।

4. उक्त अभियान हेतु विभाग की वेबसाइट – shahar2021.rajasthan.gov.in एवं Help Desk (टोल फ्री नं. 1800-180-6127) का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 09.09.2021 को कर दिया गया है।
5. विभाग द्वारा आपको 6 विभिन्न प्रकार के पट्टों के प्रारूप (अलग-अलग रंगों में) भेजे या रहे हैं, जिन्हें समुचित संख्या में प्री-प्रिन्ट कराकर कार्यालय में तैयार रखें। इन प्री-प्रिन्टेड पट्टों के प्रारूप में ऑनलाईन, कम्प्यूटर के द्वारा आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र से जानकारी अंकित करें तथा पट्टे को प्रिन्ट करें।
6. तैयारी कैम्प (दिनांक 15.09.2021 से 25.09.2021 तक) में निकाय द्वारा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शुल्कों के विवरण, जोनल-प्लान, Lay Out Plan, अनुमोदित कॉलोनियों की सूची के Display की शिविर स्थल पर समुचित व्यवस्था की जावे।
7. आवासीय, व्यावसायिक/पर्यटन, मिश्रित, संस्थागत, औद्योगिक, धारा 69-ए के भिन्न-भिन्न पट्टे जारी किये जाने हैं।
8. पट्टों के पीछे निर्धारित शर्तें अंकित की गई होनी चाहिए।
9. पट्टे निम्नांकित रंगीन स्वरूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करें—

i.	आवासीय उपयोग—	पीला रंग
ii.	व्यवसायिक/पर्यटन उपयोग—	लाल रंग
iii.	मिश्रित उपयोग—	नारंगी रंग
iv.	संस्थागत उपयोग—	नीला रंग
v.	औद्योगिक उपयोग—	बैंगनी रंग
vi.	69-ए के पट्टे (हैरिटेज)—	गेरुआ रंग
10. पट्टों का आकार A-4 साईज रखा जावे।
11. पट्टों की प्रिन्टिंग हेतु कम से कम पेपर-90 जी.एस.एम. से 110 जी.एस.एम. रखा जावे।
12. पट्टों में आवश्यकता अनुसार कुछ शर्तें जोड़ी व हटाई जा सकती हैं।
13. उपर्युक्त विभिन्न रंगों के पट्टा प्रारूप Letter Head की तरह पहले से प्रिंट करवा के पर्याप्त मात्रा में रखे जावें ताकि आवेदन प्राप्त होने पर कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदक की Details भरकर पट्टों का प्रिंट दिया जा सके एवं आवेदन प्राप्त होने पर पट्टों को अपलोड करने की कार्यवाही की जावे ताकि अभियान के शुभारम्भ दिनांक 02.10.2021 को अधिकाधिक पट्टे जारी किये जा सके।
14. पट्टों की प्रिन्टिंग क्वालिटी उच्च स्तर की हो।
15. नगर मित्र/ E – Mitra को आवेदकों की सहायताार्थ आवेदन पत्रों को Scan/ Upload करने हेतु पाबन्द किया जावे तथा उक्त कार्य हेतु आवेदकों से निर्धारित दरों पर भुगतान करवाया जावे। इसके लिए अभियान पूर्व तैयारी कैम्पों से पूर्व ही इनके साथ एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जावे।
16. साईट प्लान आवश्यकतानुरूप अलग से भी संलग्न किया जा सकता है तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पट्टे का संलग्न प्रारूप अनुसार पंजीयन किया जावेगा, जो पट्टे का भाग होगा।

17. नवीन पट्टों हेतु एक निर्देशिका जारी की गयी हैं, जो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।
18. अभियान के दौरान जारी किये जाने वाले पट्टों के पंजीयन हेतु सब-रजिस्ट्रार की शक्तियाँ भी नगरीय निकाय में पदस्थापित आयुक्त/अधिशायी अधिकारियों को दी जा रही है। आप द्वारा अभियान के दौरान प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी एवं सब-रजिस्ट्रार दोनों के रूप में कार्य किया जावेगा। अतः आपके द्वारा जारी पट्टों के पंजीयन की कार्यवाही संलग्न प्रारूप अनुसार की जानी है जिसके लिए आपको अलग से गाईडलाइन भेजी जावेगी। इसके अलावा आप भी अपने नजदीकी सब-रजिस्ट्रार से व्यक्तिशः सम्पर्क कर इस प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेवे एवं संबंधित लिपिकों को भी उक्त प्रक्रिया की जानकारी दी जावे।
19. अभियान के दौरान पट्टे जारी किये जाने हेतु इन्टरनेट, पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर एवं High Speed प्रिन्टर की उपलब्धता सुनिश्चिता की जावे।

अभियान से पूर्व उक्तानुसार पट्टे देने की कार्यवाही करने हेतु सम्पूर्ण तैयारी आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। पट्टों के विभिन्न प्रारूप का पी.डी.एफ. (PDF) या वर्ड (doc) फॉर्मेट सक्षम स्तर से अनुमोदित होते ही आपको प्रेषित कर दिया जावेगा। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS अभियान-21/डीएलबी/2021/18353-18370 दिनांक : 10/09/2021
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
06. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
07. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
08. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
09. रक्षित प्रति।


(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक

(1) Presentation Endorsement (धारा-62)

आज दिनांक को बजे श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री उम्र जाति व्यवसाय निवासी
..... शहर जिला राजस्थान ने मेरे सम्मुख पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक
(कार्यालय का नाम)

(2) पूर्ण मुद्रांकन का प्रमाण पत्र (धारा-54)

प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रुपये मानते हुए इस पर देय
मुद्रांक राशि रुपये पंजीयन शुल्क रुपये सरचार्ज रुपये कुल
रुपये रसीद संख्या दिनांक से जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज रुपये मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

हस्ताक्षर उप पंजीयक
(कार्यालय का नाम)

(3) निष्पादन की स्वीकृति का पृष्ठांकन (धारा-58) (Rule 185.B.(1))

श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री उम्र जाति
..... व्यवसाय निवासी जिला राजस्थान, जो व्यक्तिशः जानकार है,
ने लेख्य पत्र को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया तथा प्रतिफल प्राप्त करना स्वीकार
किया है।

हस्ताक्षर निष्पादक
(अगूँठा निशानी)

हस्ताक्षर उप पंजीयक
(कार्यालय का नाम)

(4) पंजीयन का प्रमाण पत्र (धारा-60)

आज दिनांक को पुस्तक संख्या 1 के जिल्द संख्या में पृष्ठ संख्या क्रम संख्या
..... पर पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त पुस्तक संख्या जिल्द संख्या के पृष्ठ संख्या पर
किया।

हस्ताक्षर उप पंजीयक
(कार्यालय का नाम)